रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1764] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 20, 2015/श्रावण 29, 1937
No. 1764] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 20, 2015/SHRAVANA 29, 1937

## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

**(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)**

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2015

**का.आ. 2265(अ).**—जबकि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 20 की उप-धारा (1) के प्रावधान के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने दिनांक 09.01.2014 की अधिसूचना के तहत भारतीय चिकित्सा परिषद के सदस्यों में से स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा समिति गठित की है।

जबकि एमसीआई के सदस्य के रूप में डॉ. पुत्ता श्रीनिवास के नाम को आईएमसी, अधिनियम, 1956 की धारा 3(1) (क) के अंतर्गत राज्य प्रतिनिधि, आंध्र प्रदेश के रूप में दिनांक 25 मार्च, 2015 को अधिसूचना से हटाया गया था क्योंकि डॉ. पुत्ता श्रीनिवास आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के लागू होने के बाद अधिसूचना रद्द होने की तिथि को निदेशक (चिकित्सा शिक्षा) तेलंगाना सरकार, हैदराबाद के रूप में कार्यरत थे।

और जबकि अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसरण में **डॉ. वोरा नितिन सुमनचंद्रा**, निदेशक ईएसआईएस, आयकर, अहमदाबाद, गुजरात को भारतीय चिकित्सा परिषद की स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा समिति के सदस्य बनाए जाने वाले सदस्यों में से केंद्र सरकार द्वारा नामांकित किया गया है।

अब, इसलिए, अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, केंद्र सरकार भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 09.01.2014 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत: -

केंद्र सरकार द्वारा नामांकित

(3) डॉ. वोरा नितिन सुमनचंद्रा,
निदेशक, ईएसआईएस,
तृतीय तल, पंचदीप भवन,
आयकर,
अहमदाबाद (गुजरात)

4, दीपविला बंगला,
100 फीट हेबतपुर रोड,
स्वागत ग्रीनविला पार्ट - 3 के सामने,
थालटेज
अहमदाबाद – 380 059

[सं. वी. 11013/5/2013-एमईपी-I]

अली आर. रिजवी, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

**(Department of Health and Family Welfare)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th July, 2015

**S.O. 2265(E).—**Whereas in pursuance of the provision of sub-section (1) of section 20 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government has constituted a Postgraduate Medical Education Committee from among the members of the Medical Council of India vide notification dated 09.01.2014.

Whereas the name of Dr. Putta Srinivas as Member of MCI was de-notified on 25th March, 2015 u/s 3(1)(a) of IMC, Act, 1956 as State representative of Government of Andhra Pradesh as Dr. Putta Srinivas was serving as Director of Medical Education, Government of Telangana, Hyderabad on the date of denotification after the enactment of Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014.

And whereas in pursuance of the provision of sub-section (3) of section 20 of the Act, **Dr. Vora Nitin Sumanchandra**, Director ESIS, Income Tax, Ahmedabad, Gujarat has been nominated by the Central Government from amongst the members to be a member of the Post-graduate Medical Education Committee of the Medical Council of India.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 20 of the Act, the Central Government makes the following further amendment in the notification dated 09.01.2014 of the Government of India, Ministry of Health & Family Welfare, namely: -

NOMINATED BY THE CENTRAL GOVERNMENT

(3) Dr. Vora Nitin Sumanchandra,
Director ESIS,
3rd Floor, Panchdeep Bhavan,
Income-Tax,
Ahmedabad (Gujarat)

4, Deepvilla Bunglows,
100 ft Hebatpur Road,
Opp Swagat Greenvilla Part-3,
Thaltej
Ahmedabad – 380 059.

[No. V. 11013/5/2013-MEP-I]

ALI R. RIZVI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.